भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.376
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एआईएफ का कार्यान्वयन
376. श्री सुधाकर सिंह:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कुल कितना धन आवंटित किया गया है;
(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एआईएफ के अंतर्गत धन आवंटन निर्धारित करने में सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख मानदंडों और औचित्य का ब्यौरा क्या है;
(ग) एआईएफ के अंतर्गत बिहार में स्वीकृत और विकसित कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या, अवसंरचना के प्रकार (जैसे, शीतागार, वेयरहाउस, प्रसंस्करण इकाइयाँ, सिंचाई परियोजनाएँ) और उनसे संबंधित स्वीकृत धन का ब्यौरा क्या है;
(घ) आज की तिथि के अनुसार बिहार में इन अवसंरचना परियोजनाओं में से प्रत्येक की भौतिक और वित्तीय प्रगति की स्थिति क्या है;
(ङ) क्या सरकार इन वित्त पोषित अवसंरचना परियोजनाओं के किसानों की आय और उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करती है; और
(च) यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से बिहार में इसके क्या परिणाम रहे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक मीडियम-लॉन्ग टर्म ऋण वित्तपोषण सुविधा है, जो ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई और नबसंरक्षण के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

इस योजना की शुरुआत में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल मूल्य उत्पादन के अनुपात के आधार पर वित्तपोषण सुविधा का एक अस्थायी राज्य-वार आवंटन किया गया था। आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ): योजना की शुरुआत में, बिहार राज्य के लिए 3980 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन किया गया था। दिनांक 30 जून 2025 तक, 1763 परियोजनाओं के लिए 1440.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से बिहार राज्य में एआईएफ के तहत 914.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 2419 करोड़ रुपये है। बिहार राज्य में स्वीकृत और वितरित ऋणों का परियोजनावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.) एवं (च): एआईएफ योजना के तहत दिसंबर, 2023 में एक प्रभाव मूल्यांकन किया गया था, जिसका उद्देश्य योजना के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया एकत्र करना और सुधार का सुझाव देना था।

मूल्यांकन में किसानों की आय में वृद्धि, कृषि भंडारण क्षमता में वृद्धि, कृषि उपज के लिए फसलोपरान्त और मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में योजना के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। यद्यपि बिहार राज्य के लिए विशेष रूप से कोई विशिष्ट मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था, फिर भी अध्ययन घटक में अन्य राज्यों के अलावा बिहार के नमूने शामिल किए गए थे तथा निष्कर्षों का समग्र रूप से विश्लेषण किया गया था। बिहार सहित पूरे देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के समग्र प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन के परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यीकृत किया गया। अध्ययन के परिणाम का विवरण नीचे दिया गया है:

i. 31% एआईएफ इकाइयों ने सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठाया है। इस प्रकार, एआईएफ के अंतर्गत कन्वर्जेंस के कारण उन्हें लाभ हुआ है।
ii. कुल इकाइयों में से लगभग 85% के लिए, एआईएफ ऋण की उपलब्धता ही इकाई शुरू करने का मुख्य कारण थी।
iii. एआईएफ इकाइयों की परियोजना लागत का औसतन लगभग 40% एआईएफ ऋण द्वारा कवर किया गया।
iv. लगभग 70% इकाइयों ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ऋण लिया है।
v. एआईएफ इकाई गतिविधियों द्वारा सृजित रोज़गार, स्लेक सीजन की तुलना में पीक सीजन में अपेक्षाकृत अधिक था। पीक सीजन में प्रति इकाई नियोजित व्यक्तियों की औसत संख्या 11 पायी गई। यह औसत राजस्थान में सबसे अधिक अर्थात 27 और महाराष्ट्र राज्य में सबसे कम अर्थात 5 था।
vi. कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के मामले में प्रति इकाई नियोजित व्यक्तियों की संख्या अधिक थी।
vii. सैम्पल एआईएफ वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और साइलो द्वारा निर्मित कुल क्षमता लगभग 879 हजार मीट्रिक टन है। इसके अलावा, इन इकाइयों ने लगभग 2900 हजार वर्ग फीट का कुल क्षेत्रफल घेर रखा है।
viii. समग्र प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि एआईएफ यूनिट्स के उत्पादों/सेवाओं की मांग और इन इकाइयों की आय संतोषजनक है।
ix. अधिकांश इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कृषि उत्पादन क्षेत्रों से निकटता को दर्शाता है और लगभग 54% उत्तरदाताओं का मानना था कि एआईएफ इकाइयों के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई है और उनमें से अधिकतर ने बताया कि आय में वृद्धि बहुत अधिक और संतोषजनक थी।
x. लगभग 54% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि कुल मिलाकर, एआईएफ सुविधाओं के कारण किसानों को लाभ हुआ है।

अनुबंध-I

योजना की शुरुआत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के फंड का अनुमानित आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमानित आवंटन**
1.	उत्तर प्रदेश	12831
2.	राजस्थान	9015
3.	महाराष्ट्र	8460
4.	मध्य प्रदेश	7440
5.	गुजरात	7282
6.	पश्चिम बंगाल	7260
7.	आंध्र प्रदेश	6540
8.	तमिलनाडु	5990
9.	पंजाब	4713
10.	कर्नाटक	4525
11.	बिहार	3980
12.	हरियाणा	3900
13.	तेलंगाना	3075
14.	केरल	2520
15.	ओडिशा	2500
16.	असम	2050
17.	छत्तीसगढ	1990
18.	झारखंड	1445
19.	हिमाचल प्रदेश	925
20.	जम्मू एवं कश्मीर	900
21.	लद्दाख	
22.	उत्तराखंड	785
23.	त्रिपुरा	360
24.	अरुणाचल प्रदेश	290
25.	नागालैंड	230
26.	मणिपुर	200
27.	मिजोरम	196
28.	मेघालय	190
29.	गोवा	110
30.	दिल्ली	102
31.	सिक्किम	56
32.	पुदुचेरी	48
33.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40
34.	दमन और दीव	22
35.	लक्षद्वीप	11
36.	दादरा एवं नगर हवेली	10
37.	चंडीगढ़	9
	कुल	**1,00,000**

अनुबंध-II

दिनांक 30 जून 2025 को बिहार राज्य में स्वीकृत और वितरित ऋणों का परियोजना-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**परियोजना का प्रकार**	**परियोजनाओं की संख्या**	**स्वीकृत राशि**	**वितरित राशि**
1	वेयर हाउस	712	663.20	404.53
2	प्रसंस्करण इकाइयाँ	334	380.68	247.31
3	कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन	40	162.00	99.01
4	छँटाई और ग्रेडिंग इकाई	22	29.81	25.81
5	साइलो	4	26.34	13.84
6	कस्टम हायरिंग केंद्र	154	20.12	19.00
7	जैविक आदानों का उत्पादन	4	15.71	0.61
8	परख इकाइयाँ	5	4.62	0.47
9	लॉजिस्टिक्स सुविधा	4	2.81	2.56
10	जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ	2	8.50	2.50
11	राइपनिंग चेम्बर्स	4	2.24	0.92
12	स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर	8	1.09	1.00
13	पैकेजिंग इकाइयाँ	8	0.63	0.53
14	फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर	1	0.40	0.00
15	समग्र परियोजना	2	0.31	0.31
16	अन्य	459	122.34	96.26
	सकल योग	**1763**	**1440.80**	**914.64**

*****